Seventeenth Loksabha

an>

Title: Made a statement regarding fixing the minimum support price (MSP) for 22 agricultural crops.

***m01**

कृषि और किसान कल्याण मंत्री; ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक मत्वपूर्ण जानकारी वक्तव्य के माध्यम से सदन को देना चाहता हूं।

देश में ऐतिहासिक कृषि सुधारों के संसद से पास होने के बाद आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज एमएसपी में वृद्धि से जुड़े कुछ अहम फैसले हुए हैं। जिनकी जानकारी मैं सदन को देना चाहता हूं। सरकार, कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर तथा राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के तर्कों पर विचार करके 22 कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को निर्धारित करती है। प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया एवं वर्ष 2018-19 के बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना करने की घोषणा की। तब से सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर की है।

आज हमने आगामी रबी की बुआई प्रारम्भ होने के पूर्व ही 6 रबी की फसलों की एमएसपी, माननीय प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीईए की बैठक में स्वीकृति प्रदान की है। गेहूं की एमएसपी, 50 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि के उपरांत, अब 1975 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। चना में 225 रुपये की वृद्धि के उपरांत अब यह 5100 रुपये प्रति क्विंटल होगी। मसूर की एमएसपी 300 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि के उपरांत 5100 रुपये प्रति क्विंटल होगी। सरसों में 225 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि के उपरांत अब 4650 रुपये प्रति क्विंटल सरसों का दाम होगा। जौ में 75 रुपये की वृद्धि के उपरांत 1600 रुपये प्रति क्विंटल इसका भाव होगा। कुसुम में 112 रुपये की वृद्धि के उपरांत 5327 प्रति क्विंटल एमएसपी निर्धारित की गयी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2013-14 में किसानों को मसूर पर 2950 रुपये एमएसपी दी जा रही थी। आज देश के किसान मसूर पर 5100 रुपये एमएसपी पा रहे हैं। यह एक तरह से 73 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और दो हजार रुपये की वृद्धि है।

एक और महत्वपूर्ण तथ्य है जो दिखाता है कि कांग्रेस के समय में खरीद की क्या हालत थी। वर्ष 2009 से 2014 के बीच कांग्रेस सरकार के समय में 1.52 लाख मिट्रिक टन दाल की खरीद हुई थी। हमारी सरकार ने वर्ष 2014 से 2019 के बीच 76.85 लाख मिट्रिक टन दाल किसानों से खरीदी है।…(व्यवधान) यह 4962 प्रतिशत की वृद्धि है। अगर एमएसपी भुगतान की बात करें तो हमारी सरकार ने नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 6 साल के भीतर एमएसपी के भुगतान के रूप में लगभग 7 लाख करोड़ रुपये किसानों को भुगतान किया है जो यूपीए सरकार से लगभग दोगुना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को और किसान संगठनों को कहना चाहता हूं कि जब कृषि सुधार के बिल आए तो पूरे देश में हमारे कांग्रेस के मित्र यही कह रहे थे कि इन बिलों के पारित होने के बाद एमएसपी समाप्त हो जाएगी, एपीएमसी समाप्त हो जाएगी। मैंने उस समय भी कहा था कि एमएसपी जारी रहेगी। भारत सरकार ने जो कहा, नरेन्द्र मोदी जी ने जो कहा, वह एमएसपी आज घोषित करके हमने प्रमाणित कर दिया है। …(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से पूरे देश को यह कहना चाहता हूं कि एमएसपी भी जारी रहेगी, एपीएमसी भी जारी रहेगी और एपीएमसी के बाहर किसान अपने उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए किसी भी स्थान, किसी भी राज्य, किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बेचने के लिए स्वतंत्र है। सरकारी खरीद पर एमएसपी जारी रहेगी।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : स्टेटमेंट पर चर्चा नहीं होती है। The Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Bill, 2020 श्री अधीर रंजन चौधरी जी।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, सदन और हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर द्वारा दिए गए वक्तव्य से जुड़े कुछ सवाल हैं।

माननीय अध्यक्ष : आप इस बिल पर बोलिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, हम इस पर जरूर बोलेंगे, लेकिन तोमर साहब ने जो वक्तव्य दिया है, उस पर हमारे दो-चार विचार सुन लेते तो अच्छा होता,क्योंकि हमें इस बात का शक है कि कांग्रेस के जमाने में जो मंडीकरण हुआ था, आप उसका मंडीहरण करने जा रहे हैं। हमें उसी का शक है। सिर्फ हमें ही शक नहीं है, आज पूरा पंजाब रास्ते पर आ गया है। पूरा पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसान बड़े परेशान हैं। आप वहां जाकर बात क्यों नहीं करते हैं?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिल पर बोलिए।

(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : आप यहां पर क्या मीठी-मीठी बातें करते हैं। आपकी वहां जाने की हिम्मत नहीं है।..(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सीनियर लीडर हैं।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदय**,** पंजाब के एक मेंबर को बोलने दीजिए।..(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो, ऐसा कभी नहीं होता है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

…(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, our MPs from Punjab want to speak on this issue.

माननीय अध्यक्ष : सुरेश जी, आप सीनियर लीडर हैं। आप सात बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। स्टेटमेंट पर क्लैरिफिकेशन नहीं होता है।

…(व्यवधान)

17.56 hrs

(At this stage Jasbir Singh Gill and some other

Hon. Members left the House.)